

Mail/Fax

बिहार सरकार

कृषि विभाग,

पत्र संख्या-3/कृ०बजट आवंटन-28/2014-230(आवंटन)/कृ०, पटना, दिनांक 30-01-2015  
प्रेषक,

रामजी सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, जमुई।

विषय : खरीफ 2014 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में वर्ष 2014-15 में सिंचाई के लिए डिजल अनुदान हेतु 769.06 करोड़ रुपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 16.18 करोड़ रुपये कुल 785.24 करोड़ रुपये (सात अरब पचासी करोड़ चौबीस लाख रुपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन सिंचाई के लिए डिजल अनुदान हेतु स्वीकृति के लिए अवशेष राशि के अंतर्गत 6,50,121/- (छः लाख पचास हजार एक सौ ईक्कीस रु०) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप तत्काल व्यय हेतु कुल ₹6,50,121/- (छः लाख पचास हजार एक सौ ईक्कीस रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-440 दिनांक-23.01.2015 के द्वारा खरीफ 2014 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में वर्ष 2014-15 में सिंचाई के लिए डिजल अनुदान हेतु 769.06 करोड़ रुपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 16.18 करोड़ रुपये कुल 785.24 करोड़ रुपये (सात अरब पचासी करोड़ चौबीस लाख रुपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन सिंचाई के लिए डिजल अनुदान हेतु स्वीकृति के लिए अवशेष राशि के अंतर्गत 6,50,121/- (छः लाख पचास हजार एक सौ ईक्कीस रु०) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹6,50,121/- (छः लाख पचास हजार एक सौ ईक्कीस रु०) की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹6,50,121/- (छः लाख पचास हजार एक सौ ईक्कीस रु०) का व्यय बजटशीर्ष- 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांगसं०-1-उपशीर्ष-0147-बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना-विपत्र कोड-P2401007960147, विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष, 2014-15 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-6720 वि० (2) दिनांक-25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

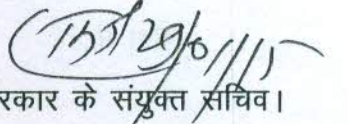
ज्ञापांक

230(ओक्टन)

/कृ०, पटना, दिनांक 30-01-2015

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

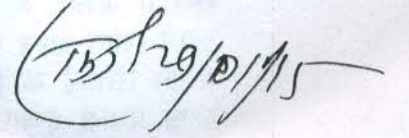
230(ओक्टन)

/कृ०, पटना, दिनांक 30-01-2015

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/कृषि निदेशक/निदेशक, पी० पी० एम०, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) कृषि विभाग बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/उप कृषि निदेशक, (बीज) कृषि विभाग, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, कृषि विभाग-सह-उप कृषि निदेशक, (सांख्यिकी)/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।





सरकार के संयुक्त सचिव।

खरीफ 2014 में अनियमित मानसून/बाढ़/सुखे जैसी आपातकालिन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2014-15 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-440 दिनांक-23.01.2015 का आवंटन विवरणी।

विपत्र कोड-P2401007960147

(राशि रूपये में)

| क्रम सं०                                       | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम | स्वीकृत राशि | आवंटित राशि |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| 1                                              | 2                                 | 3            | 5           |
| 3                                              | जिला पदाधिकारी, जमुई।             | 6,50,121     | 6,50,121    |
|                                                | कुल                               | 6,50,121     | 6,50,121    |
| (कुल-छः लाख पचास हजार एक सौ ईक्कीस रु० मात्र)। |                                   |              |             |

*रिजल*

*(रामजी सिंह)*

सरकार के संयुक्त सचिव  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।